## मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

**प्रकीर्ण वाद संख्या** ४९/२०२१ (एम.ए.सी.पी. सं.१२३/२०१८)
प्रताप सिंह आदि बनाम चमन लाल आदि

**१८.०३.२०२१**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि पर ३बी प्रार्थनापत्र पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती मानकुंवर, भारत एवं कु. रजनी राजपूत द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १६.०८.२०१९ को निर्णीत की जा चुकी है, जिसके अनुपालन में बीमा कम्पनी ने धनराशि जमा कर दी गई है। उक्त के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में किसी प्रकार की कोई अपील व स्टे नहीं है। अतः प्रार्थीगण ने प्रस्तुत याचिका में जमाशुदा धनराशि उन्हें दिलाये जाने की याचना की है। प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में ४सी२ शपथपत्र प्रार्थिया श्रीमती मानकुंवर, अपने आधार कार्ड व पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थिया ने अपने शपथपत्र ४सी२ में ३बी प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील व स्थगन नहीं है। कार्यालय आख्या दिनाँकित १९.०२.२०२१ के अनुसार अपर जिला जज प्रथम, झाँसी के चेक रजिस्टर के अनुसार दिनाँक ३१.१०.२०१९ को सिन्डीकेट बैंक, गोबिन्द चौराहा, झाँसी में ₹५,७९,४७४ जमा होने की प्रविष्टि है। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि एम.ए.सी.टी./ अपर जिला जज, न्यायालय सं.१, झाँसी द्वारा प्रस्तुत याचिका में दिनाँक १६.०८.२०.१९ को ₹५,३३,४०० का एवार्ड मय ब्याज हेतु पारित किया गया है, जिसके अनुसार उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. ३ भारत सिंह व याची सं.४ कु. रजनी को एक–एक लाख रु. प्राप्त होनी हैं तथा जिनकी प्रतिकर धनराशि उनके वयस्क होने तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना के तहत निवेशित की जानी है। किन्तु याची सं.३ भारत सिंह वर्तमान में वयस्क हो चुका है अतः उसे प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि की आधी धनराशि ₹५०,००० उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में तीन वर्ष के लिये निवेशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा शेष आधी धनराशि ₹५०,००० वह आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगा। याची सं.४ कु. रजनी वर्मतान में भी अवयस्क है अतः उसे प्राप्त होने वाली धनराशि उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा योजना में उसके वयस्क होने तक निवेशित की जावेगी, जिसकी मय ब्याज धनराशि वह वयस्क होने पर प्राप्त कर सकेगी। याची सं.१ प्रताप व याची सं.२ श्रीमती मानकुंवर को शेष प्रतिकर धनराशि ₹३,३३,४०० एवं सम्पूर्ण प्रतिकर धनराशि पर आंकलित ब्याज प्राप्त होना है तथा उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि में से आधी धनराशि तीन वर्ष की सावधि जमा योजना के तहत किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित होनी है तथा आधी धनराशि एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से नकद प्राप्त होनी है। प्रार्थीगण द्वारा अपने बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं अतः मेरे विचार से याची सं.२ को प्राप्त होने वाली आधी प्रतिकर की धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से उसके बैंक खाते में नकद स्थानान्तरित किये जाने योग्य है। ३बी प्रार्थनापत्र याची सं.१ प्रताप सिंह की ओर से नहीं दिया गया है अतः प्रकरण में याची सं.१ को प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिकर की धनराशि मय ब्याज को छोड़कर, शेष प्रार्थीगण/याचीगण सं.२ लगायत ४ तदनुसार अपने–अपने भाग की धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा अवयस्क प्रार्थी/याची सं.४ कु. रजनी का संरक्षक याचिका में याची सं.१ प्रताप को बनाया गया है अतः याची सं.४ को प्राप्त होने वाली प्रतिकर धनराशि जरिये संरक्षक पिता प्रताप सिंह याची सं.१ प्रार्थी/याची सं.४ के वयस्क होने तक निवेशित की जावेगी।

**आदेश**

सिंडीकेट बैंक (कैनरा बैंक) शाखा शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं.१२३/२०१८(प्रकीर्ण वाद सं.४९/२०२१ प्रताप सिंह आदि बनाम चमन लाल आदि) के प्रकरण में जमाशुदा प्रतिकर की धनराशि **₹५,७९,४७४** मय अर्जित ब्याज प्रार्थीगण/याचीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:–

| Applicant/ Petitioner | Amount in Rs. | +(%of) Interest Accrued on Deposited Amount | Mode of Disbursment | Bank Account Number | Bank | IFSC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.19 18:49:26 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribinal
Jhansi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Smt. Maankunvar | 94868 | 25 | FD for 3 Years | ___ | Any Nationalized Bank | ____ |
| 1. Smt. Maankunvar | 94868 | 25 | Elect.Mode RTGS/ NEFT | 92352010010085 | Syndicate Bank, Govind Chouraha Jhansi | SYNB0009235 |
| 2. Bharat | 50000 | NIL | FD for 3 Years | ___ | Any Nationalized Bank | ____ |
| 2. Bharat | 50000 | NIL | Elect.Mode RTGS/ NEFT | 3671000101195219 | Prathama Bank, Tehroli khas, Jhansi | PUNB0367100 |
| 3. Kum. Rajni (Minor) | 100000 | NIL | FD for Her Majority through Guardian Father Pratap singh | ___ | Any Nationalized Bank | ____ |
| 4. Pratap Singh | 189738 | 50 | Keep in Bank Till further order of Tribunal | | | |
| Total | 579474 | 100 | | | | |

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई–मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।